विधान परिषद के प्रथम सत्र-2023 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-10 का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
10(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र सं०-103/ने०वि०प० ब०स०पा० दिनांक 22/12/2022 जो प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का गठन करने एवं मजदूरी दरें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ?	जी, नहीं। किन्तु उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन हेतु कार्यालय श्रमायुक्त, उ०प्र० कानपुर के पत्र संख्या-740/प्रवर्तन/2022 दिनांक 17.08.2022 एवं पत्र संख्या-1362/प्रवर्तन/2023 दिनांक 07.02.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उल्लेखनीय है कि "उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड" का कार्यकाल अधिनियम की व्यवस्थानुसार दो वर्ष रखा गया है। विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण/पुनरीक्षण कराये जाने हेतु न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड तथा समिति/उप समितियों की सलाह से ही न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किये जाने की व्यवस्था है।
(ख) यदि हाँ , तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?	प्रश्न ही नही उठता।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न ही नही उठता।

अनिल राजभर
मंत्री
श्रम एवं सेवायोजन विभाग।